वाणिज्य अ.ज.–633

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.–ण्ण/2015–16/प्रे 3702 दिनांक 07.10.2016

आदेश

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र में अनाधिकृत 'पेयजल योजनाओं' के कनेक्शन नियमित करने हेतु दिशा निर्देश।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं / जल स्रोत के लिये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर ग्राम पंचायतों को जनता के लिए कनेक्शन दिये गये हैं, परन्तु कई ग्राम पंचायतों द्वारा विधिक रूप से विधुत कनेक्शन नही ले रखे है एवं अनाधिकृत रूप से सिंगल फेज एल.टी. से मोटर चलाकर पेयजल वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 2368 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों की सहमति /अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित. पेयजल योजनाओं पर तत्काल विधिक रूप से विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जावें।

उक्त पेयजल वितरण व्यवस्था को बिना व्यवधान के नियमित करने के लिये निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते हैः–

1. निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है, क्योकि प्रत्येक पेयजल योजना के लिये अलग से ट्रांसफार्मर होने पर उचित वोल्टेज मिलते है एवं विधुत सप्लाई नियमित रहती है। जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित नही होती है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं/जल स्रोत पर कनेक्शन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा विधुत निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में कनेक्शन हेतु दिनांक 10.10.2016 से 31.12.2016 तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात मौके की जांच कर पृथक ट्रांसफार्मर का एस्टिमेट बनाकर एस्टिमेट राशि जमा कराने के लिये मांग–पत्र जारी किया जायेगा।
3. उक्त मांग–पत्र की राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी अथवा मांग–पत्र की राशि जमा कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक या विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा अण्डरटेकिंग देनी होगी कि मांग–पत्र की राशि मांग–पत्र जारी होने की तिथि से 60 में जमा करा दी जावेगी।
4. मांग–पत्र की राशि जमा होने अथवा अण्डरटेकिंग के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जावेगा। कनेक्शन के लिये मीटर (एलपीआर टाईप) ट्रांसफार्मर के पास पोल पर लगाया जायेगा।
5. कनेक्शन जारी होने के पश्चात नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जावेगा एवं सम्बन्धित पंचायत द्वारा देय होगा।

6. बिल राशि जमा नही होने पर कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर हटा लिया जायेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उपरोक्त कनेक्शन के आस पास जहां संभव हो वहां अन्य एल. टी. लाईन हटायी जावे जिससे अनाधिकृत पेयजल योजना को संचालित नही किया जा सकें।
7. दिनांक 31.12.2016 के पश्चात ऐसे अनाधिकृत कनेक्शनों एवं उपरोक्त बिन्द संख्या 6 में वर्णित निर्देशों की जांच/पालना के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा एवं विधुत चोरी पाये जाने पर विधुत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(बी.एम. भामू)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/झूझंनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम............................को अतिरिक्त............... प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस, (रिटल), जयपुर ।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रूद्राक्ष एनर्जी, जयपुर ।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव ;भ्वदवतंतलद्ध , जयपुर ।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टस्ट सोसाइटी , जयपुर ।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर ।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर ।
15. अधिशाषी अभियन्ता,( ), अजमेर डिस्कॉम...............................
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर डिस्कॉम.................................
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स्, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
23. निजी सहायक, विद्युत लोकपाल, राजस्थान सरकार, सहकार मार्ग, जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अविविनिलि, अजमेर